प्रारूप – 11

योजना का नाम –: जनपद देहरादून की भटाड़ ग्राम पंचायत के अन्तर्गत भटाड़ पेयजल योजना के नवनिर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव

Justification

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि में पड़ने वाले संमरेखण का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या

उत्तराखण्ड पेयजल निगम, द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने के उदेश्य से बारामासी श्रोतो से पेयजल योजना का निर्माण किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को शुद्व पेयजल उपलब्ध हो सके उल्लेखनीय है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यों में जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य है। ग्राम में पेयजल योजना का निर्माण होने से लोगों का पीने के पानी के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास होना भी स्वभाविक है। वहीं सरकार की विभिन्न योजनाए जैसे की शौचालय निर्माण जैसी सुविधायें भी सुगमता से संचालित हो सकेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में काश्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि की श्रेणी में लिया गया है, इस पेयजल योजना के संमरेखण में आरक्षित वन भूमि 0.067 हेक्टेयर है, जो कि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त इस श्रोत जो कि वन भूमि में स्थित है एवं बारामासी भी है (शोंधार खड्ड) से जिससे कि उपरोक्त क्षेत्र के लिए पाईप लाईन का निर्माण किया जा सकता है। अतः इस पेयजल योजना के निर्माण हेतु उपरोक्त संमरेखण हेतु विचार किया गया है।

उक्त को ध्यान रखते हुए क्योंकि उस क्षेत्र की पेयजल योजना हेतु एकमात्र श्रोत जो कि वन भूमि में स्थित है और ग्राम से नजदीक में स्थित है, जिससे की योजना के निर्माण पर आने वाला व्यय भी कम हो सकेगा अतः उक्त संमरेखण का अनुमोदन किया जाता है। पाईप लाईन का संमरेखण आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरनी है।

अतः प्रस्तावित वन भूमि को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर वन विभाग को प्रेषित किया जा रहा है।

अपर सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम विकासनगर।

सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम विकासनगर।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम विकासनगर।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा ... पेयजल निगम,
विकास... 10-1

Scanned with CamScanner